"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2024 — भाद्रपद 12, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्रमांक 7525/डी. 60/21-अ/प्रारू./छ. ग./24. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 13-04-2023 को राज्यपाल एवं दिनांक 19-08-2024 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

धारा 49 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 49 में,–

(1) उप–धारा (7–क) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(दो) सोसाइटी की बोर्ड द्वारा निर्वाचित अन्य सोसाइटियों के प्रतिनिधि का कार्यकाल, सोसाइटी की बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त होगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसा प्रतिनिधि किसी अन्य सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो वह ऐसी सोसाइटी, जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है, के बोर्ड के कार्यकाल के अवसान तक उस सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निरंतर अपने पद पर बना रहेगा।"

(2) उप–धारा (8) में, शब्द "और राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छः मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में बारह मास के भीतर निर्वाचन करवाएगा" का लोप किया जाये।

(3) उप–धारा (9) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ख) ऐसा कार्यवृत्त, सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों जिसमें रजिस्ट्रार भी सम्मिलित है, को सम्मिलन की समाप्ति के तीस दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा।"

धारा 50–ख का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 50–ख की उप–धारा (8) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ख) आयोग, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन, ऐसी रीति से करेगा, जैसा कि विहित किया जाये:

परन्तु यह कि ऐसे उच्चतर स्तर की सोसाइटियों के निदेशक मण्डल का निर्वाचन तब ही कराया जायेगा, जब निचले स्तर की सहकारी सोसाइटियां, जो उससे संबद्ध है, के कम से कम तीन–चौथाई सोसाइटियों का निर्वाचन करा लिया गया हो।"

धारा 53 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 53 में,–

(1) उप–धारा (1) के खण्ड (घ) के पश्चात्, वाक्यांश "तो रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु, ऐसे विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो छः माह और किसी सहकारी बैंक के मामले में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, प्रशासक नियुक्त कर सकेगा:" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"तो रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु, आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, प्रशासक नियुक्त कर सकेगा।

पूर्वोक्त कालावधि को निर्वाचित बोर्ड के गठन तक रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर बढ़ाया जा सकेगा।"

(2) उप–धारा (3) का लोप किया जाए ।

धारा 79 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 79 में, जहाँ कहीं भी शब्द "अपील या पुनर्विलोकन" आये हो के स्थान पर, क्रमशः शब्द "अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन" प्रतिस्थापित किया जाए।"

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्रमांक 7525/डी. 60/21-अ/प्रारू./छ. ग./24. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2024)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy third Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 49.

2. In Section 49 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act),-

(1) for clause (ii) of sub-section (7-A), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) The term of the representatives to other societies, elected by the Board of the society, shall be co-terminus with the term of the Board of the society:

Provided that if such representative is elected as member of the Board of other Society then, he shall continue to hold his office as member of the Board of such Society till the expiry of the term of the Board of the Society for which he is elected."

(2) in sub-section (8), the protasis "and State Co-operative Election Commission shall hold Elections within six months, or twelve months in case of the Co-operative Banks" shall be omitted.

(3) for clause (b) of sub-section (9), the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) Such minutes shall be circulated to all the persons invited for the meeting including Registrar within thirty days from the conclusion of the meeting."

Amendment of Section 50-B

3. For clause (b) of sub-section (8) of Section 50-B of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) Commission shall conduct elections of all Co-operative societies registered under this Act in such a manner as may be prescribed :

Provided that the elections of Board of Directors of all higher level Societies shall be held only after holding elections of atleast three forth of such lower level societies affiliated to it."

Amendment of Section 53.

4. In Section 53 of the Principal Act,-

(1) after clause (d) of sub-section (1), for the protasis "The Registrar may, by order in writing, remove the Board of Directors and appoint an administrator to manage the affairs of the society for

a specified period, which shall not exceed six months and in case of a Co-operative Bank one year:" the following shall be substituted, namely:-

"The Registrar may, by order in writing, remove the Board of Directors and appoint an administrator to manage the affairs of the society for a period specified in the order.

The aforesaid period may be extended by the Registrar from time to time till the constitution of the elected board:"

(2) sub-section (3) shall be omitted.

5. In Section 79 of the Principal Act, for the words "no appeal or review" wherever they occur, the words "no appeal, revision or review" shall be substituted, respectively. **Amendment of Section 79**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.